LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, February 6, 2025 / Magha 17, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 6, 2025 / Magha 17, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

… 1

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 1A – 30
(S.Q. NO. 41 – 42)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31 – 50
(S.Q. NO. 43 – 60)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 461 – 690)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, February 06, 2025 / Magha 17, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 06, 2025 / Magha 17, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 96

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 297
5th Report

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 19TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID 297
Shri Arjun Ram Meghwal

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 298 - 309

Dr. C. M. Ramesh 298

Shri Damodar Agrawal 298

Shri Ganesh Singh 299

Shri P. C. Mohan 299

Shrimati Bharti Pardhi 300

Shri Dushyant Singh 300

Shri Ananta Nayak 301

Shri Ashok Kumar Rawat 301

Shri Raju Bista 302

Shri Arun Kumar Sagar 302

Shri Bhartruhari Mahtab 303

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 303

Shri Ramasahayam Raghuram Reddy 304

Shri Brijendra Singh Ola 304

Shri Harish Chandra Meena 305

Shri Benny Behanan 305

Shri B. Manickam Tagore 306

Shri Rajeev Rai 306

Shri C. N. Annadurai 307

Shri Malaiyarasan D. 307

Shri Dileshwar Kamait 308

Shri Balashowry Vallabhaneni 308

Shri N. K. Premachandran 309

Shri Eatala Rajender 309

… 310

COMMITTEE ON ESTIMATES 311

Statements

STATEMENT RE: DEVELOPMENTS PERTAINING TO DEPORTATION OF INDIANS FROM USA 312 - 14

Dr. Subrahmanyam Jaishankar

… 315

xxxx

(1100/SK/AK)

1100 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 41, श्री कीर्ति आज़ाद जी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने एजर्नमेंट मोशन दिया है।… (व्यवधान) विदेश में हमारे लोगों का अपमान हुआ है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बारह बजे बोलना।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है। यह विदेश नीति का मामला है। यह दूसरे देश का विषय है और भारत सरकार के संज्ञान में है। मेरा आपसे निवेदन है, प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है और हम प्रश्न काल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताओं, कठिनाइयों और समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। प्रश्न बहुत कठिनाई से लगते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कीर्ति आज़ाद जी को बोलने दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सहयोगी दल के लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप उनको नियोजित तरीके से प्रश्न नहीं उठाने देना चाहते हैं? नियोजित तरीके से सदन में व्यवधान करना, संसद में गतिरोध पैदा करना, संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने विषय को समय से उठाएं। बारह बजे आपके विषय का समय आएगा, आप उस समय चर्चा करना।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 41)

श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी।… (व्यवधान)

मैं जो प्रश्न पूछा रहा हूं, पिछले सत्र में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्ष 2023 में सिविल एविएशन मंत्रालय ने जवाब दिया था और अभी-भी उन्होंने कहा है कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की है। यह समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टीलाइजर्स और एग्रीकल्चर में आपसी विरोधाभास है। आप कैमिकल एंड फर्टीलाइजर्स कमेटी की स्टैडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बिंदु 3.33 में देखें, उसमें जो लिखा है मैं उसे कोट करना चाहता हूं :

> "Distribution of 10 drones per village in more than 6 lakh villages is being dealt in the Ministry of Civil Aviation. This scheme is not related to the Department of Fertilizers." … (*Interruptions*)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टीलाइजर्स और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन में नमो ड्रोन दीदी का तालमेल नहीं है? क्या यह केवल एक जुमले के रूप में रह गया है? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। … (व्यवधान)

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, the Namo Drone Didi Programme is a flagship programme, which was envisioned by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for financial inclusion, especially for empowerment of women. … (*Interruptions*) I am very happy to share that the way we have done, this has really improved the earning of women. … (*Interruptions*)

As regards the question, 'which Ministry does it come under', the parent Department is the Department of Fertilizers which is dealing with the distribution of drones. … (*Interruptions*) This scheme actually comes under the Department of Fertilizers, which is trying to give 80 per cent subsidy to the women Self-Help Groups. … (*Interruptions*) The number of drones that need to be distributed is up to 15,000 drones, and we have distributed up to 500 drones. … (*Interruptions*) We are trying to see that the remaining 14,500 of them will be done through indigenisation. … (*Interruptions*)

We want to promote more indigenisation of drones. … (*Interruptions*) So, this is a collective effort. The Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Agriculture and the Department of Fertilizers collectively want to see and promote the utilization of drones in agriculture. … (*Interruptions*)

1104 hours

(At this stage, Shri Shafi Parambil and some other hon. Members came and stood near the Table)

It is because we see a direct impact, especially in the earnings that the usage of drones can give to the owner of the drone and also the impact it can have on the agricultural production and the reduction of fertilizers and pesticides that get used in agriculture. … (*Interruptions*)

(1105/UB/KDS)

The figure of distributing of drones has come up in a discussion between these Ministries. We are trying to promote and look at what the potential will be. … (*Interruptions*) We have come with the aspirational figure that we can have ten drones per village. Initially, through the Namo Drone Didi Programme, we are distributing 15,000 drones out of which 500 drones have been distributed. In the stipulated time of three years, we will distribute the rest of the 14,500 drones. … (*Interruptions*)

1105 hours

(At this stage, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood near the Table)

श्री कीर्ति आज़ाद (**बर्धमान-दुर्गापुर**) : सर, आप देखिए, विरोधाभास आ गया। मैंने कहा कि मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। … (व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बिंदु 3.33 में लिखा हुआ है, "Distribution of ten drones per village in more than six lakh villages is there in the Ministry of Civil Aviation. This Scheme is not related to the Department of Fertilizers". … (*Interruptions*) अभी मंत्री जी ने कहा कि यह उर्वरक मंत्रालय का है, … (व्यवधान) लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह स्कीम यदि है तो किसकी है?

इस पर आगे बढ़ते हुए मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच नहीं है कि मंत्रालय ने माना है कि 6.6 लाख गांवों में ड्रोन देने हैं और यदि एक गांव में 10 ट्रैक्टर हैं, तो 10 ड्रोन, यानी 6.6 लाख गांवों में 66 लाख ड्रोन्स की आवश्यकता है, … (व्यवधान) जो मंत्री जी ने माना है कि इनको प्रोवाइड करना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 15 हजार देश के लिए पूरे हो जाएंगे, क्या ये पर्याप्त हैं?

माननीय अध्यक्ष : धीरे-धीरे होंगे, माननीय मंत्री जी।

श्री कीर्ति आज़ाद (**बर्धमान-दुर्गापुर**) : सर, मुझे इसे कम्प्लीट कर लेने दीजिए।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सर, ड्रोन्स का इस्तेमाल हम देश में काफी ज्यादा कर सकते हैं। There is a lot of potential for the utilisation of drones and not just in agriculture. I have 50 cases of drone usage in 12 departments. The cases of usage of drones are limitless and the possibilities are endless. … (*Interruptions*) But when it comes to utilisation of drones in agriculture, one is the Namo Drone Didi Programme under which we are distributing 15,000 drones. Regarding giving ten drones per village in six lakh villages, this is an aspirational figure that we have. How do we see the future implications? … (*Interruptions*) We are ensuring we have something in mind so that we have a direction in which we can move forward and there is no special scheme for the distribution of drones but we have a figure in mind of what the potential can be there. … (*Interruptions*) We are trying to encourage the industry to ensure more use cases of drones come under drone application. … (*Interruptions*)

(ends)

(pp. 5-30)

(प्रश्न 42)

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न क्रमांक-42 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जल गुणवत्ता और निगरानी के लिए देश में एक मैकेनिज्म विकसित किया गया है। … (व्यवधान) इसके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई, उसे संक्षिप्त पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी किया गया है, साथ ही इस बात के लिए भी धन्यवाद कि जेजेएम के माध्यम से आपने 2 प्रतिशत फंड पानी की गुणवत्ता को मेनटेन करने के लिए, प्रशिक्षण व प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए भी जारी किया है। … (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रयोगशालाएं पूरे देश में जिला स्तर पर या संसदीय क्षेत्रों में स्थापित होंगी ? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में आपका यह तरीका उचित नहीं है। … (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर हैं और सरकार ने उन्हें संज्ञान में लिया है। चूंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी नीतियां होती हैं। भारत सरकार इस पर गंभीर है। … (व्यवधान)

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा न करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न करके आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। … (व्यवधान)

(1110/KN/GM)

मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं। क्या आप सदन चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल चलाना चाहते हैं? आप नहीं चलाना चाहते हैं, आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1110 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1200/VB/RCP)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2, श्री मनोहर लाल।

… (व्यवधान)

1201 बजे

(इस समय डॉ. मल्लू रवि, श्री गुरजीत सिंह औजला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

1201 hours

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; AND MINISTER OF POWER (SHRI MANOHAR LAL): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demand for Grants of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2025-2026.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2025-2026.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 182 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-32/2024 in Gazette of India dated 20th November, 2024.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024, published in Notification No. JERC-33/2024 in Gazette of India dated 20th November, 2024.

(2) A copy of the Notification No. S.O.5337(E) (Hindi and English version) published in Gazette of India dated 10th December, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O. 185(E) dated 12th January, 2009 issued under section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre Durg, Chhattisgarh, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre Durg, Chhattisgarh, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatama Gandhi Institute of Rural Industrialization, Wardha, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatama Gandhi Institute of Rural Industrialization, Wardha, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre, Imphal, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre, Imphal, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre, Baddi, Solan, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre, Baddi, Solan, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Bhubaneswar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Bhubaneswar, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Indo Danish Tool Room), Jamshedpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Indo Danish Tool Room), Jamshedpur, for the year 2023-2024.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME- Tool Room, (Central Tool Room & Training Centre), Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME- Tool Room, (Central Tool Room & Training Centre), Kolkata, for the year 2023-2024.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME - Tool Room (Tool Room and Training Centre), Guwahati, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME - Tool Room (Tool Room and Training Centre), Guwahati, for the year 2023-2024.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Aurangabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Aurangabad, for the year 2023-2024.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Indore, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Indore, for the year 2023-2024.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME – Tool Room (Indo German Tool Room), Ahmedabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME – Tool Room (Indo German Tool Room), Ahmedabad, for the year 2023-2024.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Institute of Hand Tools), Jalandhar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Institute of Hand Tools), Jalandhar, for the year 2023-2024.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Institute of Tool Design), Hyderabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Institute of Tool Design), Hyderabad, for the year 2023-2024.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai, for the year 2023-2024.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Electronics Service & Training Centre, Ramnagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Electronics Service & Training Centre, Ramnagar, for the year 2023-2024.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Process and Product Development Centre), Agra, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Process and Product Development Centre), Agra, for the year 2023-2024.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Process Cum Product Development Centre), Meerut, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Process Cum Product Development Centre), Meerut, for the year 2023-2024.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Centre for the Development of Glass Industry), Firozabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Centre for the Development of Glass Industry), Firozabad, for the year 2023-2024.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Fragrance & Flavour Development Centre), Kannauj, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Fragrance & Flavour Development Centre), Kannauj, for the year 2023-2024.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Agra, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Agra, for the year 2023-2024.

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Chennai, for the year 2023-2024.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, Mumbai, for the year 2023-2024.

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of MSME- Tool Room, (Central Tool Room), Ludhiana, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME- Tool Room, (Central Tool Room), Ludhiana, for the year 2023-2024.

… (*Interruptions*)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.4959(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में एनएच-87 (नया एनएच-9, 109) के किमी. 42.791 (डिजाइन चेनेज 43.446) से किमी. 88.000 (डिजाइन चेनेज 93.226) तक रामपुर-काठगोदाम खंड की 2/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ.4960(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पठानकोट-मंडी खंड के एनएच-20 (नया एनएच-154) के किमी 11.000 से किमी 51.000 (डिजाइन लंबाई 37.03 किमी) तक पंजाब/हिमाचल सीमा से सिहुनी तक चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ.4961(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45 (नया एनएच-32) के किमी 29.151 से शुरू होकर एनएच-4 (नया एनएच-48) के किमी 13.800 पर जुड़ने (चेन्नई बाईपास चरण-I) और एनएच-4 (नया एनएच-48) के किमी 13.800 से शुरू होकर एनएच-5 (नया एनएच-16) के किमी 12.600 पर जुड़ने (चेन्नई बाईपास चरण-II) के चार लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ.4962(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्य में एनएच-48 के किमी 42.700 से किमी 237.000 तक गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड की छह लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पाँच) का.आ.4963(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45ए (नया एनएच-32) के डिजाइन किमी 67.000 से किमी 123.800 तक पूंडियांकुप्पम से सत्तानाथपुरम खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ.5065(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752डी के डिजाइन चैनेज 31.972 से डिजाइन चैनेज 168.073 तक (उज्जैन-गरोठ खंड एनएच-148एनजी के पुराने डिजाइन चेनेज(-)0.750 से चैनेज 0.000 और चैनेज 0.000 से चैनेज 135.351 तक) चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ.5070(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353आई के किमी 0.500 से किमी 22.225 (कुल लंबाई 21.757 किमी) खंड और एनएच-53 के किमी 22.225 से किमी 34.000 (कुल लंबाई 11.743) खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग (बाहरी रिंग रोड) नागपुर शहर (पैकेज-1) की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ.5071(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965जी के डिजाइन चैनेज किमी 41.369 से किमी 83.500 तक बारामती-इंदापुर खंड की चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ.5072(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-69 (नया एनएच-46) के किमी 0.000 से किमी 61.500 तक रातापानी

खंड सहित ओबेदुल्लागंज से इटारसी खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ.5073(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45सी (नया एनएच-36) के सेठियाथोपे-चोलपौरम खंड के डिजाइन किमी 65.960 से किमी 116.440 (मौजूदा किमी 60.250 से किमी 111.000) तक चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.5164 (अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965जी के डिजाइन चैनेज किमी 83.500 से किमी 130.202 तक इंदापुर-टोंडले खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ.5165(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में एनएच-1ए (नया एनएच-44) के किमी 154.210 से किमी 205.618 तक मारूग-बनिहाल-काजीगुंड खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ.5166 (अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-744ए के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 29.960 तक (एनएच-44 के मौजूदा किमी 410.200 से एनएच-38 के किमी 115.800 तक) वाडीपट्टी से थमराइपट्टी खंड के चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ.5246 (अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548ई के डिजाइन किमी 0.00 से किमी 53.08 (मौजूदा किमी 88.200 से किमी 234.600) तक म्हसवद-पिलिव-पंढरपुर खंड के पक्के शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.5247 (अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-209 के डिजाइन चैनेज किमी 287.500 से किमी 458.420 तक (मौजूदा चैनेज किमी 287.520 से 461.550 तक) बीआरटी टाइगर रिजर्व

सीमा से बैंगलोर खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ.5295(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में एनएच-703ए के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 24.600 तक मखू-आरिफके खंड पर पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में हैं।

(सत्रह) का.आ.3250(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-248एस की घोषणा के बारे में है।

(अठारह) का.आ.3908(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 3911(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ.3912(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-8 की घोषणा के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.4082(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.4083(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.4084(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ.4085(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.4352(अ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग 719डी की घोषणा की गई है।

(छब्बीस) का.आ.4562(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.694(अ) को निरस्त किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ.4563(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-52 की घोषणा की गई है।

(अट्ठाईस) का.आ.4564(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ.4721(अ) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम उसमें उल्लखित एनएच-10 के खंडों के विकास और रखरखाव से संबंधित कार्य करेगा।

(तीस) का.आ. 4722(अ) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ. 3910(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3255(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।

(दो) का.आ.3256(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.1667(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.3257(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1667(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.3258(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एनएच-7 के खंडों को पंजाब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पाँच) का.आ.3259(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.3260(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एनएच-56 के खंड को गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का.आ.3261(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.3462(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.3463(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.3909(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एनएच-146बी के खंड को मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(ग्यारह) का.आ.4086(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए एनएच-53, नए एनएच-353आई और नए एनएच-61 के खंडों को महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बारह) का.आ. 4087(अ) जो 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 4088(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.6016(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 4089(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 2024 की अधिसूचना सं. का.आ. 2265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 4090(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.3096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 4091(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 4092(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.4145(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 4093(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवंबर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1585(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 4094(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 मई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 724(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 4095(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितंबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2727(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 4096(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 मई, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 994(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 4097(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 863(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.5010(अ) जो दिनांक 20 सितंबर, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-719डी के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

… (*Interruptions*)

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : माननीय सभापति महोदय, श्री तोखन साहू की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024, जो 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी सवंर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी सवंर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, एर्णाकुलम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, एर्णाकुलम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

… (व्यवधान)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप लोग बैठिए। सदन चलाने में आप लोग मदद कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप लोग सदन चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1204 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/PC/PS)

1401 बजे

लोक सभा चौदह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 9, डॉ. राजकुमार सांगवान जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 9ए, डॉ. निशिकान्त दुबे जी।

कार्य मंत्रणा समिति
पांचवां प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : आदरणीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 19TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Shripad Yesso Naik, I want to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Energy on 'Delay in Execution/Completion of Power Projects by Power Sector Companies' pertaining to the Ministry of Power.

… (*Interruptions*)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1403 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

Re: Need to undertake special drive to remove black spots on National Highways passing through Anakapalli district, Andhra Pradesh

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): There is no doubt that GOI is providing world-class highways and these roads are helping in galloping country's growth to touch US$ 5 trillion and become 3rd largest economy in the world. But, on some NH stretches, be it at intersections or short/long sections or bridges, etc., we have black spots. MoRTH defined black spot as 500-meter stretch of road where there have been five or more road accidents with ten fatalities or serious injuries in last three years. In my Anakapalli Lok Sabha Constituency of Andhra Pradesh there are about 40 black spots on NHs passing through this district. Presence of black spots is really terrifying people travelling through these stretches as they are worried of road crashes resulting in fatalities or injuries. Hence, I appeal the Minister of Road Transport and Highways to undertake special drive to remove all black spots on National Highways passing through/within Anakapalli district.

(ends)

Re: Need to set up a Textile Park in Bhilwara, Rajasthan under PM MITRA Scheme

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मेरी लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा एक सुविख्यात वस्त्र व्यापार का केंद्र होकर मैनचेस्टर ऑफ़ इंडिया कहलाता है जिसमे प्रति माह 9 करोड़ मीटर कपडा उत्पादन, 50,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला, 30 हज़ार करोड़ रूपये का सालाना टर्नओवर एवं 6,000 करोड़ रूपये का वार्षिक निर्यात होता है | 2022-23 के केंद्रीय बजट में पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया, परन्तु तत्कालीन राज्य सरकार ने ऐसी जगह का प्रस्ताव भेजा जो कि तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं होने के कारण निरस्त हो गया। राज्य सरकार ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की इच्छा से 1293 बीघा जमीन आवंटित कर रिज़र्व भी कर दी है | मेरा केंद्र सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आने वाले बजट में पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क के प्रावधान की घोषणा करे, ताकि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की बहुप्रतीक्षित टेक्सटाइल पार्क की योजना धरातल पर उतर सके।, टेक्सटाइल पार्क के स्थापित होने से इस क्षेत्र में नए व्यापार और रोज़गार का सृजन होगा और निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(इति)

Re: Need to fill up the abandoned limestone mines in Satna Parliamentary Constituency

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो खदानों से संबंधित है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। देश भर में खनिज एवं मिनरल्स निकाले जाते हैं, लेकिन खनन के बाद जो बड़े आकार के गढ्ढे बन जाते हैं, आये दिन इन गड्ढ़ों की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, न तो जिम्मेदार निजी कम्पनियां और न तो प्रशासन का ध्यान इन गड्ढ़ों पर जाता है, जिससे कि गड्ढे समय से भरे जा सकें। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना (मध्य प्रदेश) में भी प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन की खदानें हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े गढ्ढे हैं, जिनकी फिलिंग नही कराई गई है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा निजी कम्पनियों को कड़े निर्देश जारी किया जाना चाहिये कि खदानों की फिलिंग जल्द से जल्द करायी जाय, साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराकर निजी कम्पनियों से जल्द से जल्द गड्ढ़ों को भराने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिये।

(इति)

Re : Need to grant additional e-buses to Bengaluru under PM e-Bus Sewa Scheme

SHRI P. C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): I rise to bring to the attention of this august House the urgent need for granting additional e-buses to Bengaluru under the PM e-Bus Sewa scheme. Bengaluru is home to over 13 million residents and faces severe traffic congestion and alarming levels of air pollution. The city currently possesses only 6,500 buses, including 1,231 non-AC electric buses. Of these, 90 e-buses were leased under the Smart Cities Mission, and 300 buses are set to join the fleet through the central scheme. However, this is far from adequate to meet the city ' s growing demand for sustainable and efficient public transport. Bengaluru requires an additional 2,500 e-buses to provide last-mile connectivity, reduce reliance on private vehicles, and address environmental concerns. I urge the Union Government to prioritize Bengaluru's application under the PM e-Bus Sewa scheme and expedite the allocation of the required 2,500 e-buses. This move will not only bolster public transport but also significantly contribute to the nation' s green mobility goals under the National Electric Mobility Mission.

(ends)

Re: Need to establish Agriculture University in Seoni, Madhya Pradesh

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट (मध्य प्रदेश) अंतर्गत सिवनी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। सिवनी का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है, और यहां के किसान, विशेष रूप से महिलाएं, कृषि कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण की भारी कमी है, जो किसानों की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने में एक बाधा है। आज के आधुनिक समय में कृषि से जुड़ी नई तकनीकों, उन्नत पद्धतियों और वैज्ञानिक जानकारी का होना आवश्यक है। यदि हम अपने किसानों, विशेषकर महिलाओं को सही मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान करें, तो न केवल उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि वे आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त होंगे। कृषि महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा का अवसर मिलेगा, और महिला किसानों को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। यह कदम न केवल हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में समृद्धि भी लाएगा। मैं इस सदन से निवेदन करती हूं कि सिवनी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।

(इति)

Re: Need to streamline the process of concessional loans for installation of Solar Panel by rural beneficiaries under PM Surya Ghar Yojana

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I draw the attention of the House to a critical issue affecting the effective implementation of the PM Surya Ghar Yojana. This ambitious scheme seeks to promote solar energy adoption and provide affordable electricity to citizens, with a particular focus on rural beneficiaries like those of Jhalawar-Baran through subsidies and concessional loans. However, procedural delays by banks are causing significant disruptions. Many applicants face loan rejections due to challenges with income proofs, credit scores, and other documentation requirements. These hurdles are undermining the scheme's progress, despite the government's timely disbursement of subsidies. Furthermore, the recent imposition of an anti-dumping duty ranging from $565 to $677 per metric ton on solar glass imports from China and Vietnam has led to a ₹2 to ₹3 per watt increase in solar panel costs. This surge in prices negatively impacts the solar industry and may discourage the widespread adoption of solar energy. I urge the Government to address these challenges by streamlining loan documentation requirements, ensuring banks expedite loan processing, and reconsidering the anti-dumping duty. These measures are crucial to realizing the scheme's objectives and fostering a cleaner, more sustainable energy future for our country.

(ends)

Re: Need for approval of proposed railway line project from Harichandanpur to Dhamra *via* Anandpur in Odisha

SHRI ANANTA NAYAK (KEONJHAR): A long-standing need of the culturally and intellectually rich Anandpur Sub-Division of my Parliamentary Constituency, Keonjhar, remains unfulfilled due to the lack of railway connectivity. This tribal-dominated and mineral-rich region has been left as a no-industry zone, resulting in large-scale unemployment. The proposed Harichandanpur to Dhamra railway line via Anandpur can transform the region by enabling industrialization, reducing transportation costs of minerals such as iron, manganese, and chromite ores, and easing traffic congestion on roads. This railway connection will also provide a much-needed boost to tourism infrastructure by improving access to popular sites like Maa Tarini Temple, Gundichaghagi Waterfall, Daragudishila Picnic Spot, Hadgarh Ecotourism Centre, and Chakratirtha Cave. Currently, many visitors are unable to experience these attractions due to poor connectivity. Furthermore, the proposed railway line will serve as a cost-effective and efficient mode for transporting minerals from the mines to Dhamra Port, thereby contributing significantly to the region's economic development and reducing road congestion. I urge the Ministry of Railways to prioritize the approval and implementation of this project to fulfill the aspirations of the local population and boost industrial, tourism, and economic growth in Keonjhar.

(ends)

Re: Need to include 'Hatya Haran' a religious place in Misrikh Parliamentary Constituency in Ramayan Circuit

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर ध्यान देते हुए रामायण सर्किट के विकास के लिए तेजी से कार्य प्रारंभ किया है और 'रामायण सर्किट' यानि भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई है। जिसमें देश के कई राज्यों के उन 15 स्थान को चुना गया है जहां से श्री राम गुजरे थे। उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में स्थित हत्या हरण कुंड एक प्रमुख धार्मिक स्थल है । यहां स्थित हत्या हरण कुंड श्री भगवान श्री राम से गहरा ताल्लुक रखता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से राज्य के अयोध्या, श्रृंगवेरकर, चित्रकूट, नंदीग्राम एवं देश के दूसरे राज्यों के अन्य स्थल जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, का रामायण सर्किट योजना में चयन किया गया है, उसी प्रकार से हत्या हरण धार्मिक स्थल को भी इस योजना में शामिल किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

(इति)

Re: Need to investigate into alleged irregularities in implementation of Har Ghar Jal Projects in Darjeeling and Kalimpong districts in West Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): For decades, our region Darjeeling hills, Terai and Dooars region was neglected, discriminated against and kept deliberately deprived. However, I am happy to report that the Central Government has initiated project worth over Rs 60,000 crore in our region. The Central Govt has allocated Rs 3500 crore for Jal Jeevan Mission – Har Ghar Jal project for Darjeeling Lok Sabha constituency alone. I am thankful for this. However, I am troubled and sad to report that till now, out of this Rs 3500 crore allocated funds, work has not been done even for Rs 350 crore. Sir, the Har Ghar Jal Project is yet to be implemented properly. Particularly in Darjeeling and Kalimpong districts, no work is going on in appropriate manner in any of the 'Jal Jeevan Mission' projects. I have myself visited various parts of constituency extensively and witnessed the shoddy work being undertaken first hand. In addition, I have received over 100 complaints from across the constituency accompanied with pictures and videos highlighting the shoddy work being undertaken. I request the Govt to send a Central Team to monitor and investigate the allegations of irregularities in Har Ghar Jal projects in Darjeeling and Kalimpong districts.

(ends)

Re: Need to establish Agriculture University in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर, जो एक अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है, में गन्ना, गेहूं, धान और आलू की प्रमुख रूप से खेती होती है और फलों में आम व अमरूद की भी काफी उपज है।

मुझे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विगत काफी समय से स्थानीय लोग शाहजहांपुर जनपद में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने हेतु अनुरोध कर रहे हैं। यह सही है कि यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने से युवाओं को कृषि की बारीकियां मालूम हो सकेगी और वे कौशलयुक्त बन सकेंगे और साथ ही चूँकि, बरेली मंडल में कहीं भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए शाहजहांपुर के निकटवर्ती कृषि प्रधान जिलों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा।

अत मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह शाहजहांपुर जनपद के पुवायां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुटार, जो गन्ना एवं धान की बंपर उपज के लिए पहचाने जाते हैं, मैं एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए।

(इति)

Re: Need for adequate funds for beautification and maintenance of Barabati Fort of Cuttack in Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Barabati Fort of Cuttack, the citadel of Utkal for hundreds of years is lying neglected. It was constructed 1000 years back in the Eleventh Century and has been witnessed to many upheavals in history. Abul Fazal has in Ain-i-Akbari stated Gajapati King Mukunda Deva reconstructed Barabati Fort which was nine-storied palace. Though it is a protected monument and ASI is in possession yet not much steps are being taken to restore it and develop it into a tourist spot. The gorge that surrounds the Fort is in utter neglect. The Interpretation Centre, newly constructed in the Fort area has not been opened. I urge upon the Government to grant adequate funds for beautification, maintenance of the Fort area and to desilt the gorge along with construction of the stone- walling of the gorge that encircles the Fort at the earliest to protect it from further decay.

(ends)

Re: Need to formulate policies for sustainable repurposing of opencast mine voids with fly ash

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to highlight one significant issue surrounding open-cast mine voids and their potential for repurposing. Neglected mine voids, left unmanaged by mining companies, pose significant social, environmental, and governance challenges. These voids deprive communities of land that could be utilized for livelihood opportunities or public welfare. A viable solution lies in repurposing these voids for fly ash disposal. Odisha, with approximately 20 GW of operational coal-based thermal power plants and an additional 10 GW in the pipeline, faces a steep increase in coal consumption—from 150 MMT to 220 MMT annually—leading to a surge in ash generation from 55 MMT to 85 MMT per year. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change mandates 100% ash utilization, yet limited avenues for sustainable use create compliance challenges, with penalties of ₹1,000 per metric ton potentially increasing power costs. Repurposing open-cast mine voids offers a dual benefit: effective ash utilization and development of renewable energy infrastructure, aiding compliance with Renewable Generation Obligations (RGO) set by the Ministry of Power. I urge the Government to formulate policies for the sustainable repurposing of mine voids, enabling states like Odisha to manage ash effectively while fostering renewable energy development for a sustainable energy future.

(ends)

Re: Need to make a comprehensive policy to address death and injuries caused due to snakebite

SHRI RAMASAHAYAM RAGHURAM REDDY (KHAMMAM): I rise to highlight the urgent and under-addressed public health crisis of snakebite envenomation, which disproportionately affects rural and vulnerable communities. India accounts for nearly 60% of global snakebite deaths, with 58,000 fatalities and 200,000 disabilities annually, as per WHO. Rural areas like Telangana, Bihar, Odisha, and Tamil Nadu face acute challenges, including limited access to healthcare, poor emergency infrastructure, and antivenom shortages. Victims, primarily farmers and labourers, suffer economic losses, perpetuating poverty. Key actions include equipping healthcare centres with antivenom and trained personnel, improving transportation, boosting antivenom production, and conducting community awareness programs. A National Action Plan aligned with WHO's strategy and a dedicated budget are essential. Hence, I request the Hon'ble Minister for Health and family welfare to initiate a Comprehensive data collection through a national registry to guide effective policy-making. Let us prioritize this issue to save lives and support vulnerable families.

(ends)

Re: Need to release funds for construction of ROB at Level Crossing No. 265 in Jhunjhunu city, Rajasthan

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : मैं सरकार का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत झुंझुनूं शहर से स्टेट हाइवे-8 गुजर रहा है। इस स्टेट हाइवे पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 265 स्थित है। इस रेलवे क्रॉसिंग 265 पर रेलवे और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आरओबी (rob) का निर्माण कार्य शुरु किया गया था। लेकिन रेलवे द्वारा अपने हिस्सा का बजट नहीं देने के कारण यह कार्य अभी रुका हुआ है जिससे आमजन को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए क्षेत्र वासियों की परेशानियों को देखते हुए माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वो रेलवे क्रॉसिंग नंबर 265 पर निर्माणाधीन कार्य के लिए रेलवे के हिस्से का बजट अतिशीघ्र जारी करने की कृपा करें जिससे यह कार्य पुनः शुरु हो सके और क्षेत्र वासियों को हो रही परेशानी से उनको निजात मिल सके।

(इति)

Re: Need to address the problems faced by labourers under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं सरकार का ध्यान देश एवं विशेषकर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे मनरेगा मजदूरों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और गरीबों को रोजगार का अधिकार देना है। लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में अनेक गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। आज मजदूरों को उनका मेहनताना समय पर नहीं मिल रहा। कई राज्यों में मजदूरी के भुगतान में महीनों की देरी हो रही है। मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य समय पर न मिलना, उनके परिवारों की आजीविका पर भारी असर डाल रहा है। इस योजना में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बिचौलिए और स्थानीय अधिकारी मजदूरों का हक मार रहे हैं। फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों के नाम पर धन का गबन किया जा रहा है। मजदूरी की दरें आज भी कई जगहों पर न्यूनतम मजदूरी से कम हैं। इसके अलावा, काम के लिए जरूरी औजार, पानी, और स्वास्थ्य सेवाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, यह गरीब ग्रामीणों के लिए जीवनरेखा है। सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

(इति)

Re: Need to increase allocation under MPLAD Scheme

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The MPLADS allocation has remained stagnant despite a significant rise in inflation and cost index over the years. This has made the current funds inadequate to meet the growing development needs of our constituencies. Many constituencies, including Chalakudy Parliamentary Constituency, comprise more than seven Assembly segments, making it challenging to equitably allocate resources, leaving critical needs unmet. Moreover, the scope of MPLADS projects has expanded to include infrastructure, education, healthcare, and disaster management, further straining the limited allocation. Increasing MPLADS funds is crucial for ensuring faster and inclusive development, particularly in geographically vast and socio-economically disadvantaged regions. MPLADS also strengthens the bond between MPs and their constituents by addressing local issues effectively. I urge the Government to immediately revise and increase the MPLADS allocation, considering the rising cost index and expanded responsibilities, to ensure equitable and sustainable development.

(ends)

Re: Wild boars menace in various districts of Tamil Nadu

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I rise today to bring attention to the critical issue of the wild boar menace in Tamil Nadu's agricultural regions, specifically in Ramanathapuram, Sivagangai, and Virudhunagar districts, and to draw a parallel with a similar situation in Uttarakhand. The unchecked overpopulation of wild boars outside forest areas is wreaking havoc on crops and threatening the safety of human lives and property. Farmers in these districts are suffering enormous financial losses, with reports of extensive damage to crops like paddy, sugarcane, and groundnuts, especially during harvest seasons. In Uttarakhand, the Forest Department has already proposed to the Centre to declare wild boars as vermin under Section 62 of the Wildlife Protection Act, 1972. This declaration would allow the culling of wild boars without permission, aiming to mitigate the damage caused to agriculture and protect human lives. I urge the Minister of Environment, Forest and Climate Change to consider implementing a similar solution for Tamil Nadu and other affected regions, allowing farmers to deal with this growing menace effectively. I request immediate intervention from the Government to provide compensation to farmers who have suffered due to the wild boar damage and implement protective measures such as fencing or relocation strategies to safeguard their livelihoods.

(ends)

Re: Need to expedite recruitment process for appointment to the posts of Draughtsman and Barrack Store Supervisor in Military Engineering Services

श्री राजीव राय (घोसी) : केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार की समग्र स्थिति अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। वास्तव में रोजगार से संबंधित सरकार द्वारा कुछ चौंकाने वाले निर्णय रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। वर्ष 2021 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (रक्षा मंत्रालय) द्वारा बैरक स्टोर सुपरवाइजर एवं ड्राफ्ट्समैन पद की संयुक्त वैकेंसी आयी थी, जिसकी परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिसंबर 2021 में पूर्ण हो गया था।

आरटीआई के जवाब में यह बताया गया कि दस्तावेज सत्यापन के आठ सप्ताह के बाद नियुक्ति जारी कर दी जाएगी। किंतु हैरानी की बात यह है कि इस परीक्षा की सारी प्रक्रिया की विवाद रहित होते हुए भी दस्तावेज सत्यापन के तीन वर्ष छह माह से अधिक का समय बीत जाने के उपरांत आज तक नियुक्ति जारी नहीं की गई। यहाँ तक कि विभाग के द्वारा इस संबंध में आफिशियल वेबसाइट पर कोई सूचना भी जारी नहीं की गई। विभाग एवं मंत्रालय के इस रवैये से सभी अभ्यर्थी दिग्भ्रमित एवं अंधकारमय भविष्य को लेकर चिंतित एवं कुंठित हैं। अत: इस सदन के माध्यम से रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी करे ताकि इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।

(इति)

Re: Damage to coconut plants due to attack of Black headed caterpillars in Tirupattur and Tiruvannamalai districts in Tamil Nadu

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I wish to draw kind attention of Union Government of India towards the attack of Black Headed Caterpillar causing huge damage to coconut plants in Tirupattur & Tiruvannamalai District which comes under my Parliamentary Constituency, Tiruvannamalai, Tamil Nadu. Needless to say that coconut is the mainstay of the farmers living in Tirupattur & Tiruvannamalai District. Coconut is cultivated in the area covering 10,600 hectares of land, by 5800 farmers, thereby producing 954 lakhs nuts per year only in Tirupattur District. It is due to the above mention pest attack the coconut production is being drastically reduced. Therefore, I request Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare to take necessary action to regulate the pest attack and also to give adequate compensation to the farmers at the earliest.

(ends)

Re: Need to open a Kendriya Vidyalaya in Kallakurichi Parliamentary Constituency

SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): Kallakurichi Lok Sabha Constituency is one of the 39 Lok Sabha constituencies in Tamil Nadu . It is unfortunate that this constituency does not have even a single Kendriya Vidyalaya so far. The total tribal population in Tamil Nadu is about 8 Lakh. Out of this, nearly 25% ie., 2 Lakh tribal people live in my Kallakurichi Parliamentary Constituency. They are traditional inhabitants of Kalvarayan Hills, Chinna Kalvarayan Hills, Shervaroys Hills and Pachamalai Hills of the Eastern Ghats. More than 60 per cent of the tribal people are living below poverty line. Article 46 of the Constitution requires the State to promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. To improve the literacy rate and educational standards of the tribal students especially the girls, Government of Tamil Nadu is running many schools. In order to provide quality CBSE system of education and to make tribal students match with the students in cities and towns, they require Kendriya Vidyalayas. Therefore, I urge upon the Union Minister of Education to take necessary steps for opening of a Kendriya Vidyalaya in my Kallakurichi Parliamentary Constituency.

(ends)

Re: Need to restore the original course of rivers Jeeta Dhar and Khando flowing in Bihar

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली प्रखंड के कुनौली बाजार नेपाल सीमा के समीप अवस्थित है। नेपाल से आने वाली जीता धार एवं खांडो नदी भारत नेपाल सीमा के नो MANS LAND से होकर बिहार प्रदेश के सुपौल जिला के कुनौली पंचायत में प्रवेश करती है। उक्त दोनों नदिया अपने पुराने मार्ग को छोड़कर कुनौली पंचायत के कृषि योग्य भूमि एवं बाजार को प्रभावित करते हुए बहने लगी है जिससे सटे हुए कुनौली पंचायत, कमालपुर एवं डागमारा पंचायत के समग्र क्षेत्र को बाढ़ अवधि में बुरी तरह प्रभावित करती है जिससे जनजीवन एवं जानमाल को हर वर्ष काफी क्षति होती है। भीषण तबाही एवं नुकसान को बचाने हेतु बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने हेतु डी पी आर तैयार कर भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग को समर्पित किया जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार के द्वारा इस योजना की स्वीकृति के लिए नेपाल सरकार का एन ओ सी अपेक्षित है। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि जनहित में अतिशीघ्र नेपाल सरकार से एन ओ सी उपलब्ध कराया जाय जिससे उक्त परियोजना का कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जा सके।

(इति)

Re: Need to expedite construction of ROBs/RUBs in Machilipatnam and Vijayawada Divisions of South Central Railway in Andhra Pradesh

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Railways taken up removing all Level Crossings as a challenge and has been able to make a considerable progress in constructing ROBs/RUBs in the country. But, it is a fact that increasing traffic at LCs where earlier traffic used to be at manageable level now becoming unmanageable and become hurdles for seamless traffic. There are a few of such LCs fall in Machilipatnam and Vijayawada Division of SCR. SSE/P.Way/MTM, Machilipatnam, Vijayawada Division of SCR, after detailed review, found LC NOs. 09 (Ramavarappadu Gate), 12 (Gudlavalleru College Gate), 14 (Nidamanuru Gate), 16 (Gudalli Gate), 20 (Uppaluru Gate), 32 (Pedana Main Gaate), 38 (Chilakalapudi Gate), 43 (Medical College Gate), 44 (Gilkaladindi Gate) & 51(KTR College Gate) needs to be provided with ROBs. These fall under GDV-MTM Stations and Ramavarappadu and Gudivada Stations. Hence, I request Hon. Minister of Railway to take up these ROBs as they are very important for smooth flow of traffic early.

(ends)

Re: Need to provide compensation for land acquired for Green Field Highway along NH 744 in Kollam Parliamentary Constituency

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Land acquisition for Green Field Highway along NH 744 in my Parliamentary Constituency Kollam is standstill. The land acquisition process is not progressing. The 3A notification with regard to certain villages was expired. The construction and transaction of land were become idle due to the notification. The compensation for land acquisition is not yet released due to the lack of funds. There is administrative delay between Central Government and Government of Kerala regarding exemption of GST and royalty. Kerala Government decided to give exemption. It is reliably learnt that the Union Government has not sanctioned the project till date and no final decision is taken regarding disbursement of compensation. It is highly necessary to disburse the compensation at the earliest.

(ends)

Re: Closure of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) in Hyderabad

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): I would like to draw your kind attention towards the closure of several big companies like Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL), falling in my Parliamentary Constituency. These closures are expected to leave hundreds of workers without employment. IDPL, a prominent public sector enterprise, contributed significantly to local employment in Hyderabad. The livelihood of many people in my Parliamentary Constituency, Malkajgiri depends on these companies. Many workers are sole breadwinners and their inability to find alternative employment will directly affect their children's education, access to healthcare etc. Therefore I would urge upon the Central Government to take proactive steps to prevent their closure/winding up.

(ends)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is replying.

… (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, बजट के इम्पॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन होने वाला है। … (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बजट पर डिस्कशन होने दें। … (व्यवधान) साढ़े तीन बजे विदेश मंत्री जी, जिस विषय पर ये एजिटेट हो रहे हैं, उसी विषय पर स्टेटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। … (व्यवधान) विदेश मंत्री जी सुओ-मोटो स्टेटमेंट देने वाले हैं। … (व्यवधान) इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि बजट पर चर्चा होने दें। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ने यह क्लियर किया है कि साढ़े तीन बजे माननीय विदेश मंत्री जी इस विषय पर सदन में स्टेटमेंट देंगे। … (व्यवधान) तब तक के लिए सदन चलाने में आप सहयोग कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : साढ़े तीन बजे माननीय विदेश मंत्री जी आपके विषय के ऊपर यहां स्टेटमेंट रखेंगे। कृपया आप सदन चलाने में सहयोग कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1404 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1530/CS/SMN)

1530 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 9, डॉ. राजकुमार सांगवान जी।

प्राक्कलन समिति

विवरण

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति (2024-25) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'खेलो इंडिया योजना के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्क्लन समिति (2020-21) के 8वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्राक्कलन समिति (2022-23) के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सीजीएचएस के अंतर्गत विभिन्न पहलों का आंकलन' विषय के बारे में प्राक्क्लन समिति (2022-23) के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्राक्कलन समिति (2023-24) के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्क्लन समिति (2022-23) के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्राक्कलन समिति (2023-24) के 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

माननीय अध्यक्ष : माननीय विदेश मंत्री जी।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Hon. Speaker, Sir, I rise to apprise … (*Interruptions*)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वहाँ कमिटमेंट हो गया था, इसलिए कर दिया। आगे से हमेशा स्टेटमेंट लोक सभा में आएगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय विदेश मंत्री जी।

STATEMENT RE: DEVELOPMENTS PERTAINING TO DEPORTATION OF INDIANS FROM USA

1532 hours

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Hon. Speaker, Sir, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA.

Sir, hon. Members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality.

The House would also share the view of the Government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities, also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who are inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. … (*Interruptions*) They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have been even fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences.

Mr. Speaker, Sir, it is the obligation of all nations to take back their nationals, if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. … (*Interruptions*) This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practised by India. It is a general accepted principle in international relations.

Sir, hon. Members would be aware that the process of deportation is not a new one, I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing for several years. … (*Interruptions*) I would like to share with the House the details of deportation from the United States since 2009. Their numbers year-wise, are listed in my Statement.

Year	No. of Deportees
2009	734
2010	799
2011	597
2012	530
2013	515
2014	591
2015	708
2016	1303
2017	1024
2018	1180
2019	2042
2020	1889
2021	805
2022	862
2023	617
2024	1368
2025 (Until 5 Feb)	104

Sir, these are the numbers given by our Bureau of Immigration. The numbers for 2009 to 2014 from the Department of Homeland Security is much higher.

Hon. Speaker, Sir, deportations by the United States are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The Standard Operating Procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012, Sir, I repeat to you, these are procedures that came in 2012 provides for the use of restraints.

Sir, I have an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. … (*Interruptions*). I authenticate it and now I will lay it on the Table of the House.

Sir, however, we are informed by ICE that women and children are not restrained. … (*Interruptions*)

1535 hours

(At this stage, Shri Benny Behanan, Shri Dharmendra Yadav, Shri S. Ventakesan and some other hon. Members came and stood near the Table)

Further, the needs of the deportees during transit related to food and other necessities including possible medical emergencies are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard.

(1535/SM/IND)

This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft … (*Interruptions*) There has been no change from past procedure – I repeat, no change from past procedure – for the flight undertaken by the US on 5th February, 2025.… (*Interruptions*)

Sir, we are engaging the US Government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight… (*Interruptions*) At the same time, the House will appreciate that our focus should be to crackdown strongly on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveller… (*Interruptions*) On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive action.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है कि केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा है। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? अगर केंद्रीय बजट पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है। आप महत्वपूर्ण बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं, वित्तीय विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं। अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सामान्य बजट पर चर्चा करने से समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसके बारे में आप अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। क्या आप सामान्य बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1538 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 07 फरवरी 2025 / 18 माघ 1946 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।